न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

बइजलास श्री कमल कुमार मीना R.A.S

रामनिवास बनाम श्याम सुन्दर वगैरा

दिनांक 28.10.2021

वाद संख्या 31/दावा/2015

–:: आदेश ::–

(प्रा0पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0)

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की और से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का इस आशय का पेश कि वादी द्वारा ग्राम बरूधन मे की स्थित भूमी जिसके ख0नं0 818,868,869,870,871, रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् पेश किया है। उक्त भूमि पूर्व में भंवरलाल के नाम दर्ज चली आ रही थी। जिसको प्रार्थीगण व आनन्दी लाल व कन्हैया लाल ने भंवरलाल से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.06.1969 से क्रय किया जिसका इन्तकाल उक्त चारो के नाम दिनांक 26.08.1971 को खोला गया। बाद में नामान्तकरण पंजिका में वादीगण का नाम काट दिया, फिर उसके बाद प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि अणदीलाल, कन्हैया लाल से दिनांक 20.07.1975 को लक्ष्मीनारायण व सत्यनारायण ने जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय करली थी, तब से लक्ष्मीनारायण के वारिस व सत्यनारायण काबिज होकर काश्त कर रहे है।

प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया था। इसलिए उक्त विक्रय पत्र को शुन्य व खारिज करने का राजस्व न्यायालय को कोई अधिकार प्राप्त नही है। इसलिए वाद पत्र माननीय न्यायालय में चलने योग्य नहीं है।

अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण का वाद पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

अप्रार्थीगण/वादी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 में वर्णित तथ्यो को अस्वीकार करते हुये प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षों की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया।

यहाँ पर यह स्वीकृत स्थिति है कि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से वाद विषयक भूमि को क्रय किया है तथा कब्जा काश्त है, साथ ही में अप्रार्थीगण/वादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार नहीं है तथा कब्जा काश्त नही है एवं यह कि वादीगण ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत शाश्वत व्यादेश देने की शर्ते निम्न है।

(i) वादी वादग्रस्त जोत का अधिकारी है (जैसा धारा 5 (43) में परिभाषित किया गया है)

(ii) वाद फाइल करने की तारीख को वादी उस वाद भूमि (जोत) के कब्जे में है,

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी

Scanned with CamScanner

वादी का उस जोत के अधिकार या उपभोग पर प्रतिवादी द्वारा आक्रमण (अतिचार) किया गया।

यहाँ पर इस मामले में अप्रार्थीगण/वादी अपनी प्रास्थिति को वाद प्रस्तुत करने के समय से लेकर आज तक अर्थात अपने आप को अभिधारी के रूप में धारा 5(43) के अर्थ में साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है।

दूसरा यह कि अप्रार्थीगण/वादीगण का वादग्रस्त सम्पत्ति पर कब्जा भी नहीं रहा है। वर्तमान में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा धारा 188 आर.टी.एक्ट के तहत व्यादेश प्राप्त करने की आवश्यकता शर्तो की पालना नहीं किये जाने के कारण अप्रार्थीगण/वादीगण को वाद प्रस्तुती का वाद कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध उत्पन्न नहीं हुआ है। वाद कारण के अभाव में अप्रार्थीगण/वादीगण का वाद पत्र खारिज किये जाने योग्य है, साथ ही में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र को निरस्त करवाये बगैर धारा 188 आर.टी.एक्ट. के तहत अप्रार्थीगण/वादीगण वादीगण का वाद पत्र मेन्टेबल नहीं है।

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. स्वीकार कर अप्रार्थीगण/वादीगण का वाद पत्र खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 28.10.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सुरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा बून्दी

Scanned with CamScanner